फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भूरा **विपक्षी : श्री तेजा**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 88/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादी प्रतिवादीगण का भाई हैं। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री भुरा का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1,2, नामान्तरकरण पंजिका की नकल प्रदर्श 3, जमाबन्दी नकल प्रदर्श 4 से 16, भेरा का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 17 पेश किये। दस्तावेज प्रदर्श 3, 4 के अवलोकन से वादग्रस्त पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के पिता धर्मा के नाम दर्ज थी। धर्मा के 7 सन्ताने भुरा, तेजा, रामा, खेमा, गिरधारीलाल, लाला, भेरा हुए। भेरा वर्तमान में लाऔलाद फौत हो चुका हैं। भेरा के निकटम वारिस वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 5 हैं। धर्मा की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण पारित करते समय भूरा के नाम नामान्तकरण पारित नहीं हो सका। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में धर्मा की विरासत भेरा, तेजा, रामा, खेमा, गिरधारी, लाला के नाम दर्ज होना बताया हैं वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ हैं। वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर हिस्सेनुसार अपना नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया एवं भेरा के नाम दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज किया जाने का निवेदन किया। दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के अवलोकन से वादी धर्मा का वारिस होना जाहिर होता हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में धर्मा के नाम पर दर्ज थी जो दस्तावेज से स्पष्ट होता हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक सम्पति होने से उक्त भूमि में वादी का जन्म से अधिकार निहित हैं एवं भेरा की लाऔलाद मृत्यु होने से भेरा के विधिक वारिस वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 5 हैं। वादी द्वारा भेरा के नाम दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। अतः उक्त भूमि में वादी अपने हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा आनन्दपुरा पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 470, 477, 883, 926 किता 4 रकबा 0.3562 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 460, 898 किता 2 रकबा 0.0648 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 927 रकबा 0.1133 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 3814/485, 3827/880, 3829/881, 3838/937, 882 किता 5 रकबा 1.3192 हेक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में से भेरा पिता धर्मा का नाम हटाते हुए वादी को 1/6 हिस्से का एवं आराजी नम्बर 457, 458, 476, 482, 483, 890, 897, 905, 906, 907, 921, 925, 929 किता 13 रकबा 2.7518 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 458 रकबा 0.4209 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 468 रकबा 1.3840 हेक्टेयर भूमि भेरा पिता धर्मा के नाम दर्ज भूमि का वादी व प्रतिवादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 88/22 (वाद) GCMS No. : 2022/230

उनवान

1. श्री भुरा पिता धर्मा गाडरी निवासी आनन्दपुरा डबोक तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री तेजा पिता धर्मा गाडरी निवासी आनन्दपुरा डबोक तह. मावली।
2. श्री रामा पिता धर्मा गाडरी निवासी आनन्दपुरा डबोक तह. मावली।
3. श्री खेमा पिता धर्मा गाडरी निवासी आनन्दपुरा डबोक तह. मावली।
4. श्री गिरधारीलाल पिता धर्मा गाडरी निवासी आनन्दपुरा डबोक तह. मावली।
5. श्री लाला पिता धर्मा गाडरी निवासी आनन्दपुरा डबोक तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तह. मावली।
7. उप पंजीयन कार्यालय, पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आनन्दपुरा पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 470, 477, 883, 926 किता 4 रकबा 0.3562 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 460, 898 किता 2 रकबा 0.0648 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 927 रकबा 0.1133 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 3814/485, 3827/880, 3829/881, 3838/937, 882 किता 5 रकबा 1.3192 हेक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में से भेरा पिता धर्मा का नाम हटाते हुए वादी को 1/6 हिस्से का एवं आराजी नम्बर 457, 458, 476, 482, 483, 890, 897, 905, 906, 907, 921, 925, 929 किता 13 रकबा 2.7518 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 458 रकबा 0.4209 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 468 रकबा 1.3840 हेक्टेयर भूमि भेरा पिता धर्मा के नाम दर्ज भूमि का वादी व प्रतिवादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.02.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली